FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़

लक्ष्मण पिता चौसुलाल मीणा जरिए पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर बाबरमल पिता गोपालराम मीणा बनाम बालुराम पिता काला कुमावत वगैरह

किस्म मुकदमा प०1-बी 75 धारा बी.एच.ई. नं.5 अकाउण्टानी(?) रोड गांधीनगर चित्तौड़गढ़ नं. प्रार्थना पत्र 95/2022 (2022/166) सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/12/2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण किए जाने बाबत् निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया एवं अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए RTA इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा राजपुरीया प०ह० ऐराल की आराजी संख्या 501, 518, 519 कीता 3 कुल रकबा 1.7500 हे अवास्थित है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त आराजीयात पर मौजा राजपुरीया व खरडीबावडी की सरहद पर जो करीबी रास्ता अवस्थित है, से आता जाता है। उक्त रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 505 व 502 के रास्सिनी (?) मेड पर अवास्थित पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा मे ए टू बी दर्शाया गया है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने के कारण पक्षकारान के मध्य आपस मे मन-मुटाव रहता है। प्रार्थी के अपनी कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु उक्त मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के ...... लगातार	

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़